रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-05/2025/1285/22-2-2022-17(743)2019

लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शम्भू रतन (बन्दी संख्या-1794/2018) पुत्र स्व0 श्री सरजू, ग्राम-भौकापुर, थाना-बन्थरा, जनपद-लखनऊ का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-30/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307323, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-09, लखनऊ के आदेश दिनांक 26.02.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.05.2018 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 08.10.2021 तक 03 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 06 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2025/1285(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in